एकल नारी की आवाज

अंक : 45 , माह : मार्च, वर्ष : 2018, निजी प्रसार हेतु

संगठन की बहिनों ने धूमधाम से मनाया ''बहनादूज'' जश्न बहिनचारे का

बहिना दूज मनायेंगे, नयी पहचान बनायेंगे

तेरा दर्द मेरा दर्द मेरा दर्द, दोनो एक जैसा है।
तेरा मेरा पाक रिश्ता गीता कुरान जैसा है।

राज्य स्तर पर झालावाड जिले में संगठन की बहिनों ने धूमधाम से मनाया बहिनादूज कार्यक्रम

झालावाड, 23-24 अक्टूबर, 2017 ''बहिनादूज जश्न एक बहिनचारे का'' एक सराहनीय कदम है। महिलाओं का महिला से रिश्ता मजबूत करने की आज की समय की बडी आवश्यकता है। आज इस संगठन में हजारो की संख्या में एकल महिलाओं ने जुडकर एक मिसाल पेश की है। 23 अक्टूबर, 2017 को अग्रसेन सेवा सदन, झालावाड़ में बहिनादूज कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में झालावाड़ की जिला प्रमुख टीना भील ने अपने विचार व्यक्त किये।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में राजस्थान के 22 जिलों की 195 एकल महिलाओं ने भाग लिया और समाज में बनी सामाजिक कुरितियों को तोड़ते हुऐ सभी ने लाल चुनरिया ओढ़ कर एक दुसरे का तिलक लगाकर रक्षा व प्रेम का सूत्र बांधा और एक साथ एक दूसरे के हाथ पकड़कर वादा किया, प्रण लिया कि **''हम ना हिंसा करेंगे ना खुद सहन करेंगे और ना ही किसी महिला पर होने देंगे।''** सभी ने एक दूसरे पर फूलों की बारिश की व जोश पूर्ण गीत नारों से पूरा हॉल गूंजायमान कर दिया।

इसी कार्यक्रम के दोरान एकल महिलाओं ने अपने विचार रखे जिसमें **मानकवर कोटा** ने कहा कि यदि महिला ही महिला की दुश्मन होती तो आज हजारों लाखों महिलाओं का संगठन कैसे खडा होता? आज 18 साल से महिलाऐं एक दूसरे को हिम्मत दे रही हैं और एक दूसरे की मदद व सहयोग के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए एक प्रयास की आवश्यकता है कि कैसे इस प्रेम भावना को बढाया जाये?

गजराज कंवर ने कहा कि पति की मृत्यु के 22 साल बाद तक कभी चुनड़ी नही ओढी, मेरी चुनड़ी तो गल गई रखी - रखी। आज बहू ने निकाल कर दी अपनी चूनड़ी तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी कुरितियॉ किस काम की जो मन को दुखाये, जीवन बार-बार थोडी ना मिलता है।

अकीला बानो ने कहा कि जब हम पिछले साल इस कार्यकम के बारे में लोगों से चन्दा व सहयोग मांगने गये तो कहा कि बहिना दूज मे तुम्हारा क्या काम यह तो हिन्दू त्यौहार है तब उनको बताया कि यह जश्न है बहिनचारे का और किसी धर्म जाति समुदाय का नही, हम बहिनों का है। तो लोगों ने काफी सहयोग व मदद दी।

महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी जीएम सैयद ने महिलाओं को डायन, डाकन अधिनियम के बारे मे बताया कि सबसे ज्यादा शिकार इसमें एकल महिलाऐं ही होती है और आज तक महिला को ही डाकन बताया जाता है। आदमी को क्यो नही? साथ ही बताया कि हमें किसी प्रकार के अन्धविश्वास मे नही पड़ना चाहिए। यदि आपके आस-पास कोई भी यह दावा करता है कि वो डाकन भगाता है तो तुरन्त शिकायत करें उन्हें सजा होगी और लोगों को भी जागरुक करें।

जिला परिषद से अधिशासी अधिकारी राजेन्द्र निमिष ने महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र मे आवास योजनाओं की जानकारी दी जिसमें बताया कि जिन एकल महिलाओं के

मसौदे की मुख्य मांगे है -

1. पीडीएस मे सभी गरीब एकल महिलाओं को 35 किलो अनाज दिया जाये, वर्तमान मे प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज बहुत कम है।
2. आवास योजनाओं मे प्राथमिकता से गरीब एकल महिलाओं को मकान आवंटित किये जाये।
3. नरेगा की मजदूरी बढ़ायी जाये।
4. गरीब एकल महिलाओं की पेंशन राशि 2000 रु की जाये।
5. एकल महिलाओं के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए फेलाशिप/स्कोलरशिप दी जाये।

– शेष पृष्ट–2 पर...

डूंगरपुर जिला स्तरीय सम्मेलन में खुला जानकारियों का पिटारा

गीत व नारों के साथ वातावरण का निर्माण

एकल नारी शक्ति संगठन द्वारा दिनांक 23 से 25 जनवरी, 2018 तक राम रोटी अन्न क्षेत्र ट्रस्ट, डूंगरपुर में जिला स्तरीय सदस्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में जिले के आठ ब्लॉक बिच्छीवाड़ा, सीमलवाड़ा, सागवाड़ा, गलियाकोट, आसपुर, डूंगरपुर, दोवड़ा व साबला की 230 एकल महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था- एकल महिलाओं की समाज व परिवार में वर्तमान स्थिति को जानना, समस्याओं के कारण समझना, समाज में यह स्थिति क्यों है?, इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे? एवं एकल नारी शक्ति संगठन व वागड़ मजदूर किसान संगठन की जानकारी देना, आदिवासी स्वशासन कानून की जानकारी देना, गांव सभा के महत्व को समझना व एकल महिलाओं से सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पीडीएस, जमीन सम्पति व भरण पोषण सम्बन्धित कानून की जानकारी देना।

जोशपूर्ण गीत-नारों के साथ सम्मेलन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला प्रमुख माधवलाल वरहात ने किया। सम्मेलन में सदस्यों द्वारा जिला प्रमुख को एकल महिलाओं की समस्याओं से अवगत करवाया। जिसमे पेंशन राशि कम मिलना, एकल महिला को 60 वर्ष की होने के बाद भी पेंशन 1000रू नहीं मिलना, अंगूठा निशानी मेच नहीं होने से पेंशन व गेहूं की दुकान के चक्कर लगाना, आवास, पानी व नरेगा आदि समस्याएं बतायी गयी। जिला प्रमुख ने सभी को आश्वस्त किया कि जिसकी जो समस्या है सूची बनाकर दे तो समाधान अवश्य होगा।

समाज कल्याण विभाग से सहायक निदेशक अशोक कुमार ने विधवा पेंशन, पालनहार विधवा पुनर्विवाह योजना की जानकारी, रसद विभाग से एरिया इंस्पेक्टर लाल सिंह डामोर ने खाद्ध सुरक्षा प्रणाली एवं राशन से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र, डूंगरपुर से परामर्शदाता पूजा द्वारा केन्द्र की जानकारी दी गई। एडिशनल सीएमएचओ आर वर्मा ने स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनवाड़ी पर महिला स्वास्थ्य व पोषण जैसी उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। सामाजिक कार्यकर्ता मधुलिका द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना एवं ई मित्र की जानकारी

– शेष पृष्ट–2 पर...

संगठन के सहयोगी भामाशाह

प्रिय सहयोगी साथियो,

हम सब एकल नारी शक्ति संगठन की बहनों की ओर से संगठन को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु आपका बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद। इस सहयोग के लिए आपके द्वारा बढ़ाया गया एक कदम हजारों गरीब एकल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा प्रयास है। आशा है कि आगे भी इसी प्रकार से संगठन के प्रति आपका सहयोग बना रहेगा। - शुभकामनाओं सहित

क्र0	नाम भामाशाह	सहयोग/चन्दा
1.	श्रीमती अदिति मेहता, जिला उदयपुर।	15,000.00 रूपये
2.	श्री नीरज शर्मा, पाटनपोल, जिला कोटा।	10,000.00 रूपये
3.	श्री गोविन्द यादव, छीपाबढोद, जिला बांरा।	5,100.00 रूपये
4.	श्री आजाद हुसैन, जिला झालावाड़।	5,000.00 रूपये
5.	श्रीमती जिनी श्रीवास्तव, उदयपुर।	5,000.00 रूपये
6.	श्री कल्याण जी, पिपल्दा, जिला कोटा।	3,000.00 रूपये
7.	श्री उमेश जैन, मेड़िकल स्टोर, जिला बारां।	2,000.00 रूपये
8.	श्री प्रेम नारायण, नसीराबाद, जिला झालावाड़।	2,000.00 रूपये
9.	अक्षत इलेक्ट्रोनिक्स, जिला बांरा।	1,100.00 रूपये
10.	श्री शम्भु सिंह, खैराबाद, जिला कोटा।	1,100.00 रूपये
11.	श्री रणजीत सिंह, कुम्भकोट, जिला कोटा।	1,100.00 रूपये
12.	श्री पालू, नयापुरा, औसिया, जिला जोधपुर।	1,100.00 रूपये
13.	श्री मनोहर लाल, नसीराबाद, जिला झालावाड़।	1,000.00 रूपये
14.	श्री बाबू लाल, नसीराबाद, जिला झालावाड़।	1,000.00 रूपये
15.	श्री रोशन लाल, पिपल्या तालाब, जिला झालावाड़।	1,000.00 रूपये
16.	श्री जगदीश चन्द्र, नयागांव, जिला झालावाड़।	1,000.00 रूपये
17.	राजदीप फर्टिलिटी सेन्टर, जिला कोटा।	1,000.00 रूपये
18.	श्री हनीस भाई, पीपल्दा रोड़, इटावा, जिला कोटा।	1,000.00 रूपये
19.	श्री राजू गुर्जर, सिहाणा, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।	1,000.00 रूपये
20.	श्री रामप्रसाद माली, पण्डेर, जिला भीलवाड़ा।	1,000.00 रूपये
21.	श्री लेखराज जी, खातोली, पिपल्दा, जिला कोटा।	500.00 रूपये
22.	श्री जगदीश जी, पिपल्दा, जिला कोटा	500.00 रूपये
23.	श्री कैलाश तिवाड़ी, पण्डेर, जिला भीलवाड़ा।	500.00 रूपये
24.	डॉ. अनुराग गुप्ता, संजीवनी हॉस्पिटल, जिला. बांरा।	500.00 रूपये
25.	श्री सुरेश जैन, इन्द्रा मार्केट, जिला बांरा।	501.00 रूपये
26.	श्रीमती विद्या बाई, चतरपुरा, जिला कोटा।	500.00 रूपये
27.	श्री बने सिंह राजपूत, नसीराबाद, जिला झालावाड़।	500.00 रूपये
28.	श्री चरत बाई,नसीराबाद, जिला झालावाड़।	500.00 रूपये
29.	श्री दीपचन्द, बकानी, नसीराबाद, जिला झालावाड़।	500.00 रूपये
30.	श्री विनोद कुमार, बकानी, नसीराबाद, जि. झालावाड़।	500.00 रूपये
31.	श्री धनराज, नसीराबाद, जिला झालावाड़।	500.00 रूपये
32.	श्री कमल जी, असनावर, जिला झालावाड।	500.00 रूपये
33.	डॉ. अनिल कोठारी, तलवण्डी, जिला कोटा।	500.00 रूपये
34.	श्री मुकेश कुंवर, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।	500.00 रूपये
35.	बनास स्टोन, जिला झालावाड़।	500.00 रूपये
36.	श्री संजय कुमार, इटावा थाना, पीपल्दा, जिला कोटा।	500.00 रूपये
37.	श्री जगरीश प्रसाद, मनोहर थाना, जिला झालावाड़।	500.00 रूपये
38.	श्री रामकरण नागर,मारूती नगर, छबड़ा, जिलाबारां।	500.00 रूपये
39.	श्री योगेन्द्र जी, कोहसपुरा, जिला बांरा।	500.00 रूपये
40.	श्री अशोक बैरवा, डाबा, तह. अंता, जिला बारां।	500.00 रूपये
41.	श्रीमती जमनी बाई, ईटमारिया, जिला भीलवाड़ा।	500.00 रूपये

नोट : कृपया एकल नारी शक्ति संगठन/संस्थान हेतु आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रसीद अवश्य प्राप्त करें। रसीद प्राप्त न होने पर अखबार के पीछे लिखे फोन नम्बर अथवा पते पर संपर्क करें।

बच्चों के भविष्य का सवाल था, चुप कैसे रहती

मुसीबतें सिखाती है इंसान को जिन्दगी जीने का हुनर,
बहनों कामयाबी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं होता।

प्रेमवती पत्नि सुरेश जाटव, ग्राम पंचायत नखसोदा, तह. बाड़ी, जिला धौलपुर की एक गरीब विधवा महिला है, जो संगठन से करीब 8 साल से जुड़ी हुई है। इनके गांव में सरकारी स्कूल है जो 10 वीं तक बना हुआ है जिसमें पानी व बिजली की व्यवस्था नहीं थी। अतः बच्चे पानी पीने के लिए हाई-वे रोड़ पार करके घर आते थे जिससे बच्चों की जान को खतरा था। इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रेमवती ने गांव में लोगों से चर्चा की लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इससे परेशान होकर प्रेमवती 8 महिलाओं के साथ धौलपुर जिला कलेक्टर सूची त्यागी से मिलने गयी काफी इंतजार के बावजूद भी जब कलक्टर साहिबा बिना मिले मिटिंग में जाने लगी तो प्रेमवती ने बाहर निकलते ही उनका हाथ पकड़ लिया और स्कूल की पानी व बिजली की समस्या के बारे में बताया और बताया कि वो संगठन से जुड़ी हुई है।

इसके पश्चात् 10-15 दिन बाद स्कूल में बिजली की व्यवस्था हो गयी लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो पायी। प्रेमवती ने पूर्व सरपंच से बात करके स्कूल में पानी की व्यवस्था करवायी। प्रेमवती ने सबको बताया कि संगठन की ताकत से ही मैं यह सब कर पायी।

-शेष पृष्ट-1 का ....संगठन की बहनों ने धूमधाम से ...

मकान नही है सरकार उन्हे प्राथमिकता से मकान दे रही है तो महिलाओं ने बताया कि उन्हे फार्म भरने पर भी इसका लाभ नही मिल रहा। अलग-अलग जिले में काफी समस्याऐं निकल कर आई।

रीना शर्मा व नन्दकंवर तंवर ने नरेगा मे कैसे ज्यादा से ज्यादा महिलाऐ जुडकर फायदा ले सकती है इसके बारें मे बताया। जिसमें महिलाओं ने कहा कि काम के मांग के आवेदन की रसीद नही देते है जिससे कोई सबूत नही रहता कि काम की मांग की गई थी साथ ही संगठन की सदस्याओं ने कुछ विशेष मांग सरकार के सामने रखी और कार्यक्रम के अंतिम दिवस में चैतना रैली का आयोजन कर समस्या का मांग पत्र सौंपा। कार्यक्रम के समापन समारोह मे समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली 17 एकल महिलाओं को डा0 जीनी श्रीवास्तव व संगठन पदाधिकारियो द्वारा सम्मानित किया गया।

-शेष पृष्ट-1 का .... डूंगरपुर सम्मेलन में खुला ....

दी। आस्था संस्थान से श्यामलाल मैनारिया ने नरेगा व कानूनी जानकारी दी, उन्होंने नरेगा में काम एवं भुगतान प्रणाली के बारे में बताया। एकल नारी शक्ति संगठन की संस्थापक डॉ. जिनी श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय मंच कार्यो से महिलाओं को अवगत करवाते हुए बताया कि 1,20,000 एकल महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पर संगठन से जुड़ी है जो कि सभी जाति, धर्म, वर्ग से है साथ ही उन्होंने साम्प्रदायिक सद्‌भावना के साथ मिलकर एकता की बात कही।

आस्था से भंवरसिंह चंदाणा द्वारा पैसा कानून की 11 शक्तियों की जानकारी एवं वागड़ मजदूर किसान संगठन से मानसिंह सिसोदिया ने वन अधिकार कानून एवं संगठन की जानकारी दी। महिला वकील स्वाति पारेख के द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण कानून, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम की जानकारी दी। सम्मेलन के अंतिम दिन संगठन सदस्य व वागड़ संगठन के सदस्य एकत्र होकर एक साथ बादल महल से जिला कलेक्ट्री तक जोशपूर्ण गीत व नारों के साथ पहुंचे जिला कलेक्टर को मसौदा सौंपा। एकल महिलाओं की मुख्य मांगे - एकल महिलाओं की पेंशन राशि 3000 रु. प्रतिमाह होनी चाहिये व प्रतिमाह नियमित मिलनी चाहिए, राशन की दुकान से प्रति सदस्य 15 किलो अनाज मिलना चाहिये व बिना फिंगर प्रिंट के आधार कार्ड के सबूत से मिलना चाहिये, एकल महिलाओं को प्राथमिकता से आवास मिलना चाहिये, सभी एकल महिलाओं को बीपीएल से जोड़ा जाये, शोचालय की राशि समय पर मिलनी चाहिए।

ना बनाओ अपने सफ़र को किसी किश्ती का मोहताज,
चलो इस शान से कि तुम्हे देखकर सबके चेहरे खिल जाये।

निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा व सहयोग हेतु सरकारी योजना

श्रम विभाग राजस्थान द्वारा मजदूर साथियों के लिए अनेक प्रकार की लाभकारी योजनाऐं संचालित की जा रही हैं, लेकिन अशिक्षा व जानकारी के अभाव में हजारों मजदूर योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। एकल नारी शक्ति संगठन की बहिनें ऐसी मजदूर बहनों को श्रम विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देकर वंचित लोगों को लाभ दिलवाने में सहयोग कर सकती हैं।

राज्य सरकार के श्रम विभाग राजस्थान ने निर्माण श्रमिक और अन्य सभी मजदूरों के काम को परिभाषित किया है। निर्माण श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में कुशल, अर्द्धकुशल या अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक सुपरवाईजरी, तकनीकी या क्लेरिकल कार्य पारिश्रमिक के लिए करता हो।

▪ निर्माण श्रमिक कौन हैं 1. पत्थर काटने वाले या पत्थर तोड़ने वाले या पत्थर पीसने वाले कामगार, 2. राज (मैसन) मिस्त्री, 3. बढ़ई (कारपेंटर), 4. पुताई करने वाले (पेन्टर) 5. फिटर या बार बेंडर, 6. सड़क या पाईप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर, 7. इलेक्ट्रिशियन, 8. कुएँ खोदने वाले 9. बेल्डिंग करने वाले 10. मुख्य मजदूर 11. मजदूर या बेलदार, 12. स्प्रेमैन या मिक्सरमैन (सड़क बनाने में लगे) 13. कुएँ में गाद (तलछट) हटाने वाले गोताखोर 14. हथौड़ा चलाने वाले, 15. छप्पर डालने वाले 16. मिस्त्री, 17. लौहार, 18. लकड़ी चीरने वाले, 19. मिश्रण करने वाले (कंक्रीट मिक्सर चलाने वाले सहित) 20. पम्प ऑपरेटर 21. मिक्सर चलाने वाले 22. रोलर चालक 23. बड़े यांत्रिकी कार्य जैसे भारी मशीनरी, पुल के कार्य आदि में लगे खलासी 24. चौकीदार 25. मोजाईक पॉलिश करने वाले 26. सुरंग कर्मकार 27. संगमरमर व अन्य पत्थर कर्मकार 28. चट्टान तोड़ने वाले एवं खान कर्मकार (जो खान अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते है) 29. संनिर्माण कार्य से जुड़े मिटट्री का कार्य करने वाले, 30. चूना बनाने की क्रिया में लगे कर्मकार 31. बाढ़, कटाव रोधी कार्य में लगे कर्मकार 32. बॉध, पुल, सड़क या किसी भवन संनिर्माण संक्रिया में नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार तथा 33. कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन ईट बनाने में लगे कर्मकार से भिन्न ईट बनाने में लगे कर्मकार।

▪ पंजीयन पात्रता:- वह व्यक्ति, जिसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो तथा जिसकी आयु 18 साल से 58 साल के बीच हो, श्रम विभाग राजस्थान में मजदूर पंजीयन कराने का पात्र है।

▪ आवश्यक दस्तावेज:- आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी की फोटो कॉपी, 1 फोटो आवश्यक है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में किसी भी ईमित्र पर जाकर अपने फार्म का आवेदन करा सकते है।

▪ प्रसूति सहायता योजना:- महिला हिताधिकारियों की पुत्री का जन्म होने पर 21 हजार रूपये तथा पुत्र का जन्म होने पर 20 हजार रूपये प्रसूति सहायता योजना। प्रसव सरकारी अस्पताल में होनी जरूरी है।

▪ शुभ शक्ति योजना:- हिताधिकारियों की बालिग व अविवाहिता बेटियों को उद्यमिता से सशक्त व उद्यमी बनाने के लिए मण्डल द्वारा 55,000/ प्रोत्साहन राशि देने की योजना। प्रोत्साहन राशि का उपयोग बेटी के विवेक अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय या सूक्ष्म उद्योग प्रारम्भ करने, कौशल विकास करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु। लड़की का कक्षा 8 तक पास होना जरूरी है।

▪ निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना:- हिताधिकारियों द्वारा सरकार की आवास योजनाओं में पात्रतानुसार आवास प्राप्त करने तथा स्वयं का आवास निर्माण करने के लिए मण्डल द्वारा अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपये तक अनुदान की सहायता की जायेगी।

▪ निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना:- हिताधिकारियों द्वारा सरकार की आवास योजनाओं के लाभ के रूप में राज्य सरकार की ''भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना'' से लाभान्वित करने की योजना में एम्पैनल अस्पतालों में सामान्य बीमारियों में 30 हजार रूपयें तक और चिन्हित गम्भीर बीमारियों में 3 लाख रूपयें तक निःशुल्क ईलाज।

▪ निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना- हिताधिकारियों के बच्चों की सामान्य, तकनीकी व प्रोफेशनल शिक्षा और मेधावी बच्चों की छात्रावृति/प्रोत्साहन राशि में कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक शिक्षा, आई.टी.आई., पॉलिटेक्नीक व अन्य डिप्लोमा और इंजीनियरिंग व मेडीकल आदि प्रोफेशनल शिक्षा के लिए छात्रों को 8 हजार से 23 हजार रूपये तक एवं छात्राओं तथा विशेष योग्यजन को 9 हजार से 25 हजार रूपये तक वार्षिक छात्रवृति। मेधावी छात्र/छात्राओं को कक्षा 8 से स्नातकोत्तर तक 4 हजार रूपयें से 35 हजार तक प्रोत्साहन राशि।

▪ सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना:-

1. दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये,
2. स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर 3 लाख रूपये।
3. आंशिक स्थायी अपंगता होने पर 1 लाख रूपये।
4. घायल होने पर 20 हजार रूपयें तक।
5. सामान्य मृत्यु पर 75 हजार रूपयें सहायता राशि देय।

▪ सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना:-

पत्थर तोड़ने, पीसने, काटने एवं तराशने आदि के कार्यो में नियोजित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सिलिकोसिस से पीड़ित होने पर 1 लाख रूपये तथा मृत्यु होने पर तीन लाख रूपये की सहायता।

▪ भामाशाह निर्माण श्रमिक बीमा योजना (आम आदमी बीमा योजना) :-

हिताधिकारी में दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रू. स्थाई पूर्ण अशक्तता पर 75 हजार रू. स्थाई अपूर्ण अशक्तता पर 37,500 रू. सामान्य मृत्यु पर 30 हजार रू. तक मण्डल द्वारा शत प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान कर सभी हिताधिकारियों का बीमा कराया गया है।

भारत की नारी चुनौतियों से ना हारी

कविता ब्लॉक लाडनूं, जिला नागौर की रहने वाली है। संगठन में काफी समय से जुड़ी हुई है। कविता के घर के पास शराब का ठेका खुल गया था तो उसके घर वालों ने उस ठेकेदार को बहुत समझाया लेकिन नहीं माना और लड़ने-झगड़ने लगा फिर इन्होंने संगठन की महिलाओं को इकट्टा कर उस पर केस कर दिया। फिर मोहल्ले के सारे महिला तथा पुरूषों को घर-घर जाकर समझाया कि हमारे मोहल्ले में शराब का ठेका खुल रहा है, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। शराब पीकर लोग गालियां देंगे और झगड़ा करेंगे तथा बुरी-बुरी हरकते करेंगे। हमारे बहन बेटी और सारी महिलाऐं परेशान होगीं तो पहले तो सारे मान गये फिर ठेकेदार ने उनको धमका दिया तो बहुत सी महिलाओं और पुरूषों ने सामने बोलने से मना कर दिया। केस करने के बावजूद उसने फिर भी शराब का ठेका जारी रखा। फिर उन्होंने वापिस शिकायत की और दो-तीन दिन दुकान पर धरना दिया और पटवारी की सहायता से सदस्यों ने वापिस उस पर इस्टे ऑर्डर निकलवाया और पटवारी व ग्राम सेवक ने आकर ठेकेदार को पाबन्द कर दिया कि आप यहां किसी भी प्रकार से शराब की दुकान नहीं लगायेंगे। उसके बाद वहां से ठेका हट गया है। कविता संगठन को धन्यवाद देती हुयी कहती है कि मेरे अन्दर संगठन ने इतनी शक्ति दी की मैं स्वयं और मोहल्ले की समस्या का समाधान कर पायी।

सावधान!

लाटरी व डबल पैसा करने वाली कम्पनीयो से सावधान

प्रिय बहिनो, आजकल हम सब मोबाईल फोन इस्तेमाल करते है। और आये दिन हम देख रहे है कि फोन पर कई बार ऐसे कॉल व सन्देश आते है जिसमे हमारे लाटरी निकलने के बारे मे सूचना दी जाती है और पहले कुछ राशि बैंक खाते मे जमा करवाने के लिए कहा जाता है। कई बार हमारे खाता संख्या, आधार संख्या पूछी जाती है। कृपया अपनी कोई जानकारी फोन पर ना दे। साथ ही कई चिटफन्ड कम्पनीयां हमे कुछ माह साल मे पैसे दुगने तिगने करने का लालच देती है। तो इनसे सावधान रहे। यदि कोई बार-बार आपको कॉल कर रहा है तो पुलिस को सूचित करे। और धोखा खाने से नुकसान से बचे।

रांची में राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच की 11 राज्यों की बहिनें एक जुट

झारखण्ड राज्य की महिला आयोग अध्यक्ष डा0कल्याणी शरण सम्बोधित करते हुए

रांची, 27 नवम्बर। 11 राज्यों से, 125 से भी अधिक महिलायें राजधानी रांची में 27 - 28 नवम्बर को होने वाली दो दिवसीय राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच की बैठक में भाग लेने देश के कोने कोने से पहुंची हैं। इस दो दिवसीय बैठक मे एकल महिलाओं से संबंधित मुद्दों, और सभी एकल महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की पूर्ति के लिये रणनीति बनायी और एकल होने के बाद जीवन संघर्ष के अपने अनुभवों को बांटा।

इस बैठक मे राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच, जो कि एकल विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, उम्रदराज अविवाहित, ऐसी महिलाएं जिनके पति लापता हैं व अन्य एकल महिलाओं का साझा मंच हैं। यह राष्ट्रीय मंच एकल महिलाओं को नीति निर्धारण में हस्तक्षेप करने, असंगठित एकल महिलाओं को सम्पर्क करने व एकल महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाने का अवसर प्रदान करता है। बैठक में भाग ले रही सभी एकल महिलायें राज्य स्तरीय एकल महिला संगठनों से जुड़ी हैं और एकल महिलाओं के मुददों पर अपने-अपने समुदाय में नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। इस वर्ष बैठक में एकल महिलाओं द्वारा बच्चों के लालन पालन में आने वाली समस्याओं व परित्यक्ता महिलाओं के सही आंकड़ों की आवश्यक्ता पर बात करेंगी।

बैठक के उद्घाटन सत्र में झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ0 कल्याणी शरण भी पधारी। महिलाओं को उद्बोधित करते हुये उन्होंने एकल महिलाओं की शक्ति को सहराते हुये कहा कि यह महिलायें ही हैं जो पुरुषों के बीच मझदार में छोड़ने के बावजूद भी अपना दायित्व नहीं भूलती और बच्चों के लालन पालन के लिये माँ व पिता दोनों की ज़िम्मेदारी पूरी करती हैं। उन्होंने समाज की समीक्षा करते हुये यह भी कहा कि अन्याय महिला के ही साथ हमेशा होता है, बचपन से ही उन्हें पीछे रखने की सभी कोशिशों के बावजूद महिला और लड़कियां आगे आकर सफल हो रही हैं। उन्होंने एकल महिला संगठनों के कार्य को सराहा और कहा कि हर वो महिला जो संगठन की मदद से खड़ी हो रही है वह समाज और देश को बना रही है।''

मंच की अध्यक्ष निर्मल चंदेल ने एकल महिलाओं की समस्या पर प्रकाश डालते हुये कहा कि - ''एकल महिलाओं की तादाद बहुत अधिक है, और स्थिति बहुत संवेदनशील। पितृसत्ता में महिलायें पुरुष की 'आसान शिकार' के रूप में हिंसा, दुर्व्यव्हार, भेद भाव और शोषण का रोजाना सामना करती हैं । सेन्सेक्स के आंकड़े दिखाते है कि जहां कुल में से केवल 13.2 फीसदी परिवार ही महिला मुखिया परिवार हैं, और एकल व्यक्ति के परिवार, या अकेले रहे लोगों को देखें तो कुल में से महिलाओं का प्रतिशत 57.6 है। यानि भारत में 59,36,636 महिलाएं अकेली रह रही है। इनमें से अधिकांश वरिष्ठ नागरिक है। आज भी जायदाद, रुपया-पैसा, जमीन आदि पुरुषों के ही स्वामित्व में है, जिससे कि महिलाएं, खासकर एकल महिलायें बड़ी तादाद में गरीबी का सामना कर रही हैं।''

अलग-अलग राज्यों से आई प्रतिनिधियेां ने अपने राज्य मे हो रहे संगठनात्मक काम व मुद्दें का अनुभव साझा किया व राज्य सरकारों द्वारा संचालित एकल महिला हितैषी योंजनाओं के बारें मे भी बताया जिसमें मुख्य रुप से निकलकर आया कि सबसे बेहतर योजनायें राजस्थान, हिमाचल, पाण्डुचेरी में है।

एकल महिलाओं की आजिविका पर बात करते हुऐ पंजाब से सरबजीत ने कहा कि पंजाब में सरपंचो द्वारा परिवारों को जॉब कार्ड दिये ही नही गये है, और बडे स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। साथ ही अन्य राज्यों की एकल महिलाओं ने भी नरेगा की कमियो को उजागर करते हुए बताया कि आवेदन पर रसीद नही मिल रही है और ना ही समय पर मजदूरी का चुकारा हो रहा है।

राज्य स्तरीय किसान महिला आयोजना बैठक आयोजित

महिला भी किसान है,
उसके हक उसकी पहचान है।।

बैठक में समस्याओं पर चर्चा करते हुए संभागी

उदयपुर : वर्तमान मे किसानों की समस्या देश के लिए एक गंभीर समस्या व बडी चुनौति है। वहीं एकल महिला किसानों की स्थिति और भी खराब है। यही सब स्थिति को देखते हुऐ एकल नारी शक्ति संगठन द्वारा दिनांक 4-5 अप्रेल 2018 को आस्था प्रशिक्षण केन्द्र, बेदला, उदयपुर मे दो दिवसीय राज्य स्तरीय महिला किसान आयोजना बैठक आयोजित की गई। जिसमें 17 जिलों की 29 संभागियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य महिला किसान की परिभाषा व पहचान, किसान महिलाओं की समस्या की पहचान, साथ मे इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाये? आगे किस प्रकार संगठन राजस्थान मे महिला किसानो के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेगा? आयोजना बनाना व सरकार की किसान महिलाओं के बारें मे क्या योजना है जानकारी देना। मुख्य रुप से समस्याओ मे निकलकर आया कि सरकार की सभी योजना उन किसानों के लिए है जिनके नाम से जमीन है, परन्तु महिलाओं के नाम से जमीन बहुत ही कम संख्या मे है जो कि ना के बराबर है, जबकि 70 प्रतिशत खेती व पशुपालन का काम महिलाऐं करती है। साथ ही यह भी निकलकर आया कि जिन महिलाओं के पास जमीन नही है और वो दूसरों के खेतों मे काम करती है उनके लिए कोई सरकारी योजनाओं मे प्रावधान नही। आज इसी बैठक मे किसान महिलाओं ने निर्णय लिया कि हमें राजस्थान मे किसान महिलाओं का एक मंच बनाना चाहिए। जिसके माध्यम से किसान महिलाओं को पहचान दिलाना, उनकी समस्या का समाधान व सशक्तिकरण के लिए काम किया जायेगा।

इसी मंच व कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के सात संभाग के 14 जिलों के 14 ब्लाको से की जायेगी। कार्यक्रम को आयोजित करने मे यूएनविमेन, महिला किसान अधिकार मंच का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन संगठन की अध्यक्ष लाली धाकड द्वारा किया गया।

तीन दिवसीय ब्लॉक कमेटी सदस्य प्रशिक्षण आयोजित

संगठन द्वारा 25-27 सितम्बर, 2017 तक डूंगरपुर जिले में ब्लॉक कमेटी सदस्य प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 70 सदस्यों ने भाग लिया। जिसके मुख्य उद्देश्य एकल महिलाओं की समस्याओं को सुनना, समझना और विश्लेषण करना, संगठन निर्माण की प्रक्रिया को समझना, आदिवासी स्वशासन कानून को समझना, जमीन, सम्पत्ति का अधिकार व घरेलू हिंसा को समझना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं व जमीन सम्बन्धी विषयों की जानकरी देना।

जिसमें मुख्य रुप से विधवा महिलाओं को जमीन सम्पत्ति में अधिकार नहीं, सरकारी योजनाओं से अभी भी एकल महिलाऐं वंचित हैं, डायन-डाकन की समस्या, बुजुर्ग होने पर बेटे रोटी नही देते, घर से निकालने से रोकना जैसी समस्याऐं निकल कर आई। उक्त लिखित मुख्य समस्याओं के अनुसार प्रशिक्षण में बताया गया कि संगठन के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्रशिक्षण में बहनों को विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें वागड़ मजदूर किसान संगठन डूंगरपुर से मानसिंह जी सिसोदिया द्वारा आदिवासी स्वशासन कानून की जानकारी, मुस्कान संस्थान से राजेश सेन द्वारा वृद्धाआश्रम, स्वरोजगार, चाईल्ड लाईन के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई।

राज्य समन्वयक चन्द्रकला शर्मा द्वारा संगठन का महत्व, ढांचा बताया साथ ही बताया कि हम संगठन में रहकर हर समस्या का समाधान कर सकते है, संगठन कार्यकर्ता धुली बाई ने बताया कि हम महिलाएं कमजोर नहीं है- जीवन में इतना संघर्ष किया कि हम मजबूत है - हर स्थिति से लड़ सकते है।

बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहां, यह जानकर
अब कुरूतियों को तोड़ रही है बहनें मेरे संगठन की।

मुट्ठी मे जो शक्ति है, वो उंगुलियों मे नही।
रस्सी मे जो ताकत है, वो धागे मे नहीं.....॥

हेलो...हेलो

आओ... बढाये मदद के लिए हाथ

आवश्यक हेल्प लाईन नम्बर

क्र0	विभाग/समस्या से सम्बन्धित	फोन नम्बर
1.	पुलिस कन्ट्रोल रुम	100
2.	महिला हेल्प लाईन	181
3.	चाईल्ड लाईन	1098
4.	रेल्वे हेल्प लाईन	1322
5.	मेडिकल हेल्प लाईन	108
6.	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	1031
7.	नरेगा हेल्प लाईन नम्बर	18004254440
8.	सरकार के काम काज से जुडी समस्या के समाधान हेतू राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाईन	181 18001806127

23 जून अन्तर्राष्ट्रीय विधवा दिवस

संगठन मनायेगा एकल महिला सशक्तिकरण दिवस

- एकल महिलाऐं डालेंगी प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड।
- इस दिन राज्यभर में संगोष्ठियां और बैठकें आयोजित होंगी।

अन्तर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पूरे विश्व मे 23 जून को मनाया जाता है, सदियो से विश्वभर मे हुई विधवा महिलाओं की अनदेखी व विधवाओ के खिलाफ जारी हिंसा व अत्याचारों के आकड़ों के आधार पर उनकी स्थिति बदलने हेतू 21 दिसम्बर 2010 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विधवा दिवस 23 जून को मनाने का प्रस्ताव परित किया गया व 23 जून 2011 को पहला अन्तरराष्ट्रीय विधवा दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं की समस्याओ उनके साथ हो रहे अन्याय व हिंसा और इनके चलते गरीबी को विश्वभर मे दृश्यता देने का यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रयास है।

एकल नारी शक्ति संगठन द्वारा राजस्थान मे सन् 2003 से 1 जून को महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता रहा है। इसी वर्ष से 1 जून के स्थान पर 23 जून को अर्न्तराष्ट्रीय विधवा दिवस को एकल महिला सशक्तिकरण दिवस के रुप मे मनाया जायेगा। इस दिवस को संगठन कार्यक्षेत्र के 33 जिलो के 120 ब्लाको मे संगठन सदस्याऐं अपनी व एकल महिलाओं की समस्याओ को लिखकर प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड डालेगी व बैठकें, संगोष्ठी आयोजन किया जायेगा।

हमारा नारा - बहिन चारा

मेरे टूटे हुए परिवार को मिलाया संगठन ने

मेरा नाम शबनम बानू पति का नाम रफीक मोहम्मद है। मेरी आयु 48 वर्ष है और गांव फूलिया कलां, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा (राज0) की रहने वाली हूँ। मेरे पति अध्यापक है, अभी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फूलियाकलां में कार्यरत है। मेरे जीवन में परेशानियों की शुरूआत तब हुई जब मेरे पति भीलवाड़ा के फूलियाकलां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाते थे। स्कूल जाने के लिए उन्हें भीलवाड़ा होकर जाना पड़ता जहां मेरे जेठ का मकान है।

मेरे पति वहां से अपना टिफिन लेकर स्कूल जाते थे। मेरे पति का टिप्पन मेरी जैठानी ही बनाती थी। कुछ समय बाद मेरी जैठानी और मेरे पति के बीच संबन्ध हो गये। इसके बाद से ही मेरे जीवन में परेशानियां मानो एक के बाद एक आने लगी। मेरे पति ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। वो कई दिन तक घर नहीं आते थे और फिर कुछ समय बाद मुझे छोड़ दिया और मैं पिछले लगभग 6 सालों से अलग मेरी सास के साथ रहती थी। मेरे पास स्वंय के और मेरे बच्चों के गुजर-बसर का कोई साधन नहीं था इसलिए मै और मेरे बच्चे मेरी सास की पेंशन पर निर्भर थे। लेकिन मेरे सास की मृत्यु के बाद मेरा यह सहारा भी नहीं रहा और मैं मजदूरी करके अपना व अपने बच्चों का पेट पालने लगी। पिछले एक साल से मेरे पति को जीभ का केंसर हो गया। इसके बाद से ही मुझे मेरे पति द्वारा पेंशन करवाने के बारे में कार्यवाही किये जाने की खबरे मिलने लगी। इसके पीछे मेरी जैठानी की साजिश थी।

वो जानती थी कि अभी मेरे पति की पेंशन होने में दस साल है, अगर यह पहले ही मर गया तो मुझे या मेरे बेटे को नोकरी मिल जायेगी और उसके (जैठानी के) हाथ कुछ नहीं आयेगा इसलिए वो मेरे पति पर पेंशन करवाने का दबाव बनाती थी, सोचती थी कि जो भी पैसा मिलेगा उसे वो हासिल कर लेगी। इस बात से मैं काफी परेशान रहने रहने लगी। एक दिन पता लगा कि मेरे पति ने दिनांक 28 फरवरी, 2018 में पेंशन ले ली है। यह बात मेरी ननद रईसा बैगम को पता लगी, वो मेरे साथ थी और संगठन की कार्यकर्ता लाली धाकड़ को जानती थी। इसलिए उसने 22 फरवरी, 2018 को लाली धाकड़ को फोन किया और मेरी सारी बात बताते हुए कहा कि मैं अपनी भाभी शबनम और 5-6 अन्य व्यक्तियों को लेकर शिक्षा विभाग ऑफिस व कलेक्ट्री गई थी लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ इसलिए मैने आप को फोन किया है।

अब आप ही मेरी भाभी की मदद कर सकते हो। इसके बाद लाली धाकड़ मुझे एवं मेरी ननद को महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र ले गये वहां पर मेरे द्वारा केस लगवाया। यहां से तुरन्त कार्यवाही हुई और उसी समय मेरे पति, जैठानी, स्कूल के प्रधानाध्यापक व वकील साहब को फोन किया गया।

उसके बाद संगठन सदस्यों व केन्द्र परामर्शदात्री द्वारा समझाइश की गई जिसके पश्चात् मेरे पति ने स्वीकार किया कि जब भी पेंशन की राशि आयेगी उसमें से वो मेरे नाम से 15 लाख की एफ0डी0 करवायेगा एवं मेरे बड़े बेटे को पुलिया वाला मकान दिया गया और निर्णय किया गया कि मै और मेरा छोटा बेटा भीलवाड़ा में किराये के मकान में रहेंगे जिसका सारा खर्चा मेरे पति उठायेंगे और वो भी हमारे साथ ही रहेंगे। एकल नारी शक्ति संगठन को मेरा बहुत धन्यवाद जो मेरी समस्या का इतनी जल्दी समाधान करवा दिया, नहीं तो मै बहुत समय से परेशान हो रही थी।

संगठन की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित

बैठक में अपने जिले रिपोर्ट की प्रस्तुती देती हुए सदस्य

संगठन की राज्य स्तरीय बैठक जो कि प्रत्येक चार माह मे एक बार आयोजित की जाती है जिसमे पिछले छः माह मे अक्टूबर से मार्च 2018 तक दो बैठके आयोजित की गई। प्रथम बैठक उदयपुर में दिनांक 16-17 दिसम्बर, 2017 व द्वितीय बैठक दिनांक 14-15 अप्रेल, 2018 आयोजित की गई। अक्टूबर बैठक मे 29 जिलों से 63 संभागीयों ने भाग लिया व अप्रेल की बैठक में 30 जिलों के 52 संभागियों ने भाग लिया।

बैठक के दोरान 8 माह के संगठन कार्यो की रिर्पोट प्रस्तुत की गई जिसमें निकल कर आया कि 8 माह में 3,718 नये संगठन सदस्य बने व कुल संगठन सदस्य 60,411 हो चुके हैं। बहिनों ने झालावाड़ बहनादूज कार्यक्रम के अनुभव साझा किये व निर्णय लिया कि आगे से हम संभाग स्तर के जिले में बहिनादूज मनायेंगे जिसके लिए अजमेर जिले का चयन किया गया। संगठन की ब्लॉक व जिला स्तर पर चुनाव की प्रकिया को और मजबूत कैसे बनाया जाये इस पर चर्चा की गई व निर्णय लिया गया कि तीन साल में एक बार जिला स्तर कमेटी की बैठक होगी जिसमे मजबूत राज्य स्तर कमेठी का चुनाव किया जायेगा। क्योंकि पिछले 1 वर्ष से जिला स्तरीय बैठके बन्द हैं।

एकल महिलाओं की मुख्य समस्याओं पर चर्चा की गई जिसमें एकल महिलाओं के पैरवी के लिए कुछ समस्या व मुद्दे निकल कर आये। जिसमें मुख्य रुप से खाद्ध सुरक्षा योजना के तहत 5 किलो अनाज की जगह पर 15 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाये, पेंशन राशि 500 से बढ़ाकर 2000 की जाये, नरेगा के कार्य दिवस 100 दिन से बढ़ाकर 150 किया जाये साथ ही दैनिक मजदूरी 300 का भुगतान किया जाये। सभी एकल महिलाओं का आवास की सुविधा हो। 13-14 अप्रेल 2018 की आयोजित राज्य स्तरीय बैठक मे तय किया गया कि सितम्बर 2018 से पंचायत स्तर पर संगठन का काम शुरु किया जायेगा। जिससे गांव व पंचायत स्तर पर एकल महिलाओं की समस्या का समाधान हो और पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूती मिले।

बैठक में 4-5 अप्रेल 2018 को किसान महिला आयेाजना बैठक हुई थी जिसकी रिर्पोट राज्य स्तर पर साझा कि गई व संभागियो ने बताया कि भारत मे व हमारे संगठन मे 70 प्रतिशत महिला किसान का कार्य कर रही है। और संगठन की सदस्यो द्वारा इस बैठक मे निर्णय लिया गया कि हम किसान महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेगे व एक मंच बनायेगे । जिसके लिए पहले हम एक किसान महिला सम्मेलन आयोजित करेगे जिसमें 7 संभाग से 14 जिलो के 14 ब्लाकों से 140 एकल किसान महिलाऐं भाग लेंगी।

निर्णय लिया गया कि 1 जून महिला सशक्तिकरण के स्थान मे 23 जून को विधवा दिवस को एकल महिला सशक्तिरण दिवस के रुप मे मनायेगे 23 जून मनाने की आयेाजना के तहत निर्णय लिया कि इस दिवस को मनाने के लिए 1 से 23 जून तक संगठन के सभी कार्य क्षेत्रो से एकल महिलाऐ प्रधानमंत्री को अपनी समस्या व मांग लिखकर पोस्टकार्ड डालेंगी। बैठक में स्थानीय स्तर व ब्लॉक स्तर पर संगठन सदस्यों द्वारा चंदा लेने पर चर्चा की गई व बहनों द्वारा अन्य संस्था व जनसंगठनों के कार्यक्रमों में भागीदारी पर चर्चा व सहभागीदारी बैठको की रिर्पोट साझा की गई।

आपकी जानकारी के लिए

प्रिय बहनों,

आपकी जानकारी के लिए यह सूचना दी जाती है कि एकल नारी शक्ति संगठन के बिल्ला जो पहले 10 रूपये का आप लेते थे उसकी राशि 1 अप्रेल, 2018 से 20 रूपये की गई है एवं आजीवन सदस्य रसीद शुल्क 20 रूपये ही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

आपके सुझाव आमंत्रित हैं

एकल नारी की आवाज आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित हर सामग्री पर आप अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। भविष्य में एकल नारी की आवाज को आप किस रूप में देखना चाहते हैं तथा किन मुद्दों व विषयों पर अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है, इन सभी पहलूओं पर हमारा ध्यान दिला सकते हैं। एकल नारी की आवाज के लिए आपकी ओर से भेजे जाने वाले आपके सुझाव आमंत्रित हैं।

एकल नारी शक्ति संगठन के सदस्यों की संख्या

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	सदस्य
1.	अजमेर	8	5028
2.	राजसमंद	4	2270
3.	सिरोही	1	1066
4.	डूंगरपुर	5	1904
5.	बांसवाड़ा	5	1103
6.	उदयपुर	8	4413
7.	भीलवाड़ा	6	3395
8.	जोधपुर	5	1525
9.	नागौर	3	2665
10.	जालोर	2	1097
11.	पाली	4	2267
12.	चित्तौड़गढ़	3	1122
13.	टोंक	5	1682
14.	बारां	5	3407
15.	बूंदी	3	1758
16.	अलवर	3	1413
17.	सवाईमाधोपुर	5	1953
18.	जयपुर	3	1775
19.	कोटा	5	3162
20.	दौसा	4	1681
21.	बाड़मेर	4	1292
22.	सीकर	3	1522
23.	चुरू	2	2338
24.	झालावाड़	5	3799
25.	जैसलमेर	1	1479
26.	करौली	3	1076
27.	प्रतापगढ़	4	1128
28.	भरतपुर	3	1067
29.	बीकानेर	1	363
30	हनुमानगढ़	2	526
31	झुंझनू	2	424
32	धोलपुर	2	476
33.	गंगानगर	1	235
	कुल योग	120	60,411

यदि कोई एकल महिला, एकल नारी शक्ति संगठन के बारे में कोई जानकारी चाहती है या सदस्य बनना चाहती है, अथवा अपने क्षेत्र को संगठन से जोड़ना चाहती है तो वह निम्न पते पर सम्पर्क करें -

एकल नारी शक्ति संगठन

- : पता : -

3-पीपल्दा हाऊस, सिविल लाईन, कोटा -324008

फोन : 0744-2450726

39, खारोल कोलोनी, उदयपुर-313004 (राज.)

फोन :0294-2451348 फैक्स :0294-2451391

ईमेल : ensskota@gmail.com

ईमेल : enssrajasthan@gmail.com

Website: www.strongwomenalone.org

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान/श्रीमती .....

पता .....

.....

..... पिन कोड .....